संख्या 57 /VI-I/2009–4(16)/2007

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 02 फरवरी, ~~जनवरी~~, 2009

विषयः– माह जनवरी, 2009 में जनपद नैनीताल में बसन्तोत्सव आयोजन हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1963/सं0नि0उ0/दो–4/2008–09 दिनांक 7 जनवरी, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिनक सांस्कृतिक कल्याण समिति, मल्लीताल नैनीताल को बसन्तोत्सव, 2009 के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या–208/VI-I/2008 दिनांक 8–5–2008 के माध्यम से आपके निवर्तन में रखी हुई धनराशि से रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या– 105/VI-I/2007–4(4)/2007 दिनांक 5–3–2008 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवटित सीमा तक ही व्यय समिति रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

5– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतियॉ जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

6– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

7– संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम में लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

8– उक्त व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–11–लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता मानक मद से के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–696 (पी)/XXXVII(3)/2009 दिनांक– 24 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7– श्री समर साह, सचिव, पिनक, सांस्कृतिक कल्याण समिति, मल्लीताल, नैनीताल।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0बलिया)
उप सचिव।